भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029

****

संख्या : 20/2/87-हिंदी
दिनांक : 26.08.2015

<u>अपील</u>

प्रिय सहयोगियों,

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर,1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया । ***26 जनवरी,1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1)के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी है एवं इसकी लिपि देवनागरी है।***

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आज कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है । सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु-आयामी हो सके ।

मैं, परिषद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करती हूँ कि वे अपने प्रभागों / अनुभागों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक एवं सतत् प्रयास करें और परिषद के सभी कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करें।

मैं, अपील करती हूँ कि इस संबंध में भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाए । संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु राजभाषा हिंदी से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

हिन्दी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे । मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और परिषद में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नया आयाम देंगे ।

सौम्या

(सौम्या स्वामीनाथन)
सचिव, डीएचआर एवं
महानिदेशक, आईसीएमआर